IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 24, Issue 5, Ser. 1 (May. 2019) 72-76
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर द्वारा गठित राजनीतिक दलों का आधार दलितो एवं शोषितों हेतु सामाजिक न्याय

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

भारत के संवैधानिक विकास में प्रान्तीय स्वायत्तता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 ई0 के द्वारा भारत में प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना हुई, जिसके अन्तर्गत स्वराज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया गया तथा भारतीयों को स्वशासन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1935 ई0 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय स्वायत्तता का व्यावहारिक स्वरूप एवं सफल बनाने के उद्देश्य से मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रान्त में विधानसभा का गठन व्यापक मताधिकार के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया गया।

24 सितम्बर, 1932 ई0 को सम्पन्न हुए पूना–पैक्ट के प्राविधानों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 ई0 में दलितों के लिए केन्द्रीय विधायिका एवं प्रान्तीय विधायिकाओं में दलितों की आबादी के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। इस अधिनियम में अनेक विसंगतियाँ थीं, जिसके कारण सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। विरोध के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम के संघीय अंश को कार्यान्वित नहीं किया, परन्तु प्रान्तीय अंश को स्वीकार किया। इस प्रकार प्रान्तीय स्वायत्तता के सन्दर्भ में ब्रिटिश सरकार ने फरवरी, 1937 ई0 में प्रान्तों में चुनाव की घोषणा की। विधानमण्डलों के चुनाव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य छोटे दल एवं उदारवादियों ने भाग लेने का निर्णय लिया।

डा0 अम्बेडकर ने दलितों की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों की लड़ाई किसी सुगठित नियमित संगठन के माध्यम से नहीं लड़ी। उन्होंने विभिन्न आयोगों, सम्मेलनों एवं बैठकों में दलितों का स्वयं प्रतिनिधित्व किया तथा उनके राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता के आधार पर लड़ा। डा0 अम्बेडकर ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए वे भली–भांति जानते थे कि किसी समुदाय के जीवन में स्वतन्त्रता, अधिकार एवं जनतान्त्रिक मूल्यों का कितना महत्व है। इसीलिए सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित दलित समाज के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा ऐसे वंचित समाज के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ''किसी समुदाय के जीवन में राजनैतिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है मुख्यतः उस समय जब उस समुदाय को चुनौती दी जा रही हो। उस समुदाय को चुनौती का सामना करना चाहिए। राजनैतिक शक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपनी स्थिति बनाये रख सकता है।'[1]

लेकिन तत्कालीन प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय साम्यवादी दल एवं इनके प्रमुख नेताओं ने दलितोत्थान तथा उनके राजनीतिक अधिकारों को गैर जरूरी कार्य समझा और दलितों के अधिकारों को मामूली कार्य समझ कर उपेक्षा की। इससे डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय दलों की कुटिल चालों को समझ गये और उन्होंने दलितोत्थान एवं दलितों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अधिकारों के लिए स्वयं भी संघर्ष किया तथा दलितों को प्रेरित किया।

डॉ0 अम्बेडकर तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं के विचारों से भली–भांति अवगत हो गये थे, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक राजनीतिक दल तथा राजनेताओं से दलितोत्थान तथा दलितों के राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई में सहयोग की अपेक्षा की। लेकिन सभी ने दलितोत्थान तथा उनके राजनीतिक अधिकारों को गैर जरूरी कार्य मानकर उपेक्षा की। डा0 अम्बेडकर जो कि स्वयं उच्च शिक्षित तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित थे, उन्होंने दलितों की आंकाक्षाओं तथा दलितोत्थान का कार्य अपने हाथ में ही लिया तथा इस हेतु स्वयं ही विभिन्न सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक दलों का गठन किया।

डा0 अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक स्वतंत्र संगठन का होना आवश्यक है। ऐसे संगठन के कार्यकर्त्ता एवं नेता चाहें कम हो, लेकिन उनको बहुत ही परिश्रमी तथा लगनशील होना चाहिए। उनमें ज्ञान एवं आत्मविश्वास भी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि, 'यदि आप राजनैतिक शक्ति में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के पूर्व आपको एक संगठित इकाई में सम्मिलित हो जाना चाहिए'[2]

डॉ0 अम्बेडकर दलितों के उत्थान हेतु राजनीतिक शक्ति को आवश्यक तथा सभी प्रकार की प्रगति का आधार मानते थे। वे कहते हैं कि, 'राजनैतिक शक्ति समस्त सामाजिक प्रगति का आधार है।'[3]इसी प्रकार डा0 अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की सभा में आह्वान किया कि 'देश के शासन में अपने अधिकार का हिस्सा प्राप्त करना दलित समाज का ध्येय है।'[4]

डॉ0 अम्बेडकर तथा उनके अनुयायियों द्वारा अन्य राजनीतिक दलों से निराश होकर दलितों की समस्याओं के समाधान, उनके अधिकारों एवं न्याय को केन्द्र में रखकर समय–समय पर विभिन्न दलित राजनीतिक दलों का गठन किया गया, जिनका विस्तृत उल्लेख निम्नवत् है–

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी– डॉ0 अम्बेडकर ने 15 अगस्त, 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की। इस पार्टी के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का पद स्वयं डा0 अम्बेडकर ने ग्रहण किया तथा एम0बी0 समर्थ को सचिव नियुक्त किया। डॉ0 अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन दलित एवं समाज के शोषितों की रक्षा एवं सेवा के लिए किया था। यह पार्टी धर्म निरपेक्ष थी। यह पार्टी दलितों तथा उसी मानसिकता के हिन्दुओं के लिए अपनी समस्या रखने का एक मंच थी। यह दलितों, शोषितों एवं वंचितों तथा मजदूर वर्ग की हितैषी पार्टी थी। यह पार्टी महाराष्ट्र तक ही सीमित थी।

दलितों को सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में रखकर डा0 अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तत्वाधान में 1937 के सामान्य चुनावों में भाग लिया। तथा इस पार्टी का विधिवत् चुनावी घोषणा–पत्र भी जारी किया।

घोषणा–पत्र में श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु कानून, निर्माण तथा सुरक्षा, काम के घंटे सुनिश्चित करना, अवकाश, श्रमिकों, के स्वास्थ्य तथा नौकरी की सुरक्षा आदि क्षेत्रों में पार्टी ने श्रमिक हित में कार्य करने का आश्वासन दिया। घोषणा–पत्र के अनुसार, 'श्रमिकों के हित की दृष्टि से कानून बनाने की चरम कोशिश की जाएगी। नौकरियाँ देना, पदच्युत करना, कारखानों में भरती रोक देना, काम के अधिकतम घंटे और वेतन श्रेणी, अर्जित छुट्टी देना, श्रमिकों के सस्ते और आरोग्यदायी आवासों की व्यवस्था करना इत्यादि के बारे में कानून बनाये जाएंगे। बेकारी से मुक्ति मिले इसलिए भूमिहीनों को भूमि देकर उनके उपनिवेश स्थापित किए जाएंगे। जनहित के कार्य शुरू किए जाएंगे। औद्योगिक धंधों के केन्द्र बड़े नगरों में निम्न–मध्य वर्ग को मकान का किराया कम देना पड़े, इसलिए कुछ इंतजाम किया जाएगा।'[5]

इस प्रकार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भारतीय राजनीति में ऐसे राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व में आई, जिसका नेतृत्व दलितों के हाथ में था। यह पहली पार्टी थी, जो दलितों द्वारा दलित हितों की संरक्षा हेतु गठित की गई थी।

डॉ0 अम्बेडकर ने उद्योगों एवं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को एक पार्टी इंडिपेंडेन्ट लेबर पार्टी के अन्तर्गत संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन हिन्दू मजदूरो ने दलित मजदूरों के समान उत्साहजनक परिणाम नहीं दिये। तथा हिन्दू मजदूरों ने जातिगत आधार पर दलित मजदूरों से दूरी बनाये रखी। इससे यही सिद्ध हुआ कि जातीय चेतना वर्गीय चेतना से अधिक मजबूत होती है। समस्त भारतीय मजदूरों के चिंतन के कारण दलितों की समस्या नेपथ्य में चली गई, जिसके कारण डा0 अम्बेडकर ने पुनः दलितों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया।

यह पार्टी कम समय तक ही अपने अस्तित्व में रही। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब भारत विभाजन की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई तब भारतीय राजनीति में काफी उथल–पुथल हुई। तत्कालीन असन्तोष एंव भारतीय परिस्थितियों को समझने एवं उनको नियन्त्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1942 ई0 में सर स्टेनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। डा0 अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नेता तथा दलितों के प्रतिनिधि के रूप में सर स्टेनफोर्ड क्रिप्स के साथ दलितों की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए। सर क्रिप्स ने मुस्लिमों की प्रतिनिधि मुस्लिम लीग की मांग पृथक पाकिस्तान को माना तथा हिन्दुओं की भी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना तथा उनसे सहमति व्यक्ति की। लेकिन दलितों की पूर्ण उपेक्षा की। इसीलिए डा0 अम्बेडकर ने 'क्रिप्स प्रस्तावों' को ठुकरा दिया। जब डॉ0 अम्बेडकर मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि तथा दलितों के प्रतिनिधि के रूप में सर स्टेनफोर्ड क्रिप्स से मिले थे तभी सर क्रिप्स ने यह संशय प्रकट किया था कि आप मजदूरों के प्रतिनिधि है या दलितों के। डा0 अम्बेडकर ने उसी समय दलित हितों के आन्दोलन के लिए पृथक केवल दलितों की पार्टी का गठन करने का निर्णय लिया और इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन दलित पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई।

शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन–स्वतंत्र भारत में हिन्दू ब्रिटेन से स्वतंत्रता तथा मुस्लिम एक पृथक राज्य के अन्तर्गत पूर्ण सवतंत्रता का उपयोग करेंगे, लेकिन दलित हिन्दुओं तथा भू–स्वामियों की गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे। इसलिए डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक पृथक दलित राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की। इसी उद्देश्य को लेकर डा0 अम्बेडकर ने सम्पूर्ण भारत के दलित नेताओं की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के गठन के लिए 30–31 मार्च, 1942 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई। जिसमें एम0बी0 मल्लिक, आर0एल0 विस्वास, जे0एन0मंडल (बंगाल), रावसाहब श्यामलाल धोबी (मध्य प्रान्त), गोपाल सिंह (पंजाब), राव बहादुर एम0सी0 राजा, राव बहादुर एन0 शिवराज (मद्रास), पी0एन0 राजभोज (बम्बई) उपस्थित हुए और शिडयूल्ड कास्ट की एक राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया।

इसी परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर में 17–20 जुलाई, 1942 को बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता मद्रास के एक सुप्रसिद्ध दलित नेता राव बहादुर एन0 शिवराज ने की। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से हजारों की संख्या में दलित सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन के दौरान ही डॉ0 अम्बेडकर को वायसराय ने अपनी कार्यपालिका परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सम्मिलित करने की घोषणा की। इससे सम्पूर्ण दलित समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। इस अवसर पर डॉ0 अम्बेडकर ने दलित समुदाय से आहवान किया कि, 'दलित समाज हिन्दू समाज का अंग नहीं है, बल्कि वह स्वतन्त्र समाज है और इसलिए उसको राजनीतिक अधिकार चाहिए। यही मेरा दृढ़ विचार है। आज हमारे स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमें अधिक संगठित एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारा संघर्ष न्याय एवं मानवता के लिए है। वह पूर्णतः न्यायोचित है। हमारा संघर्ष सत्ता या सम्पत्ति के लिए नहीं बल्कि स्वतन्त्रता के लिए

है, अतएव पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो।'[6] इसी सम्मेलन में ऑल इंडिया शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की गई, इसका महामंत्री पी0एन0 राजभोज को बनाया गया।

इस सम्मेलन में प्रमुख मांगों के रूप में निम्न प्रस्ताव पारित किए गये– क्रिप्स प्रस्तावों का निषेध, अछूतों की पृथक पहचान अछूतों की उच्च शिक्षा हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था, अछूतों को प्रान्तीय एवं केन्द्रीय मंत्रिमंडलों में उचित प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित, अछूतों को विधायिकाओं एवं स्थानीय स्वशासन में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, उनके प्रतिनिधि पृथक निर्वाचक के आधार पर चुने जाय, अनुसूचित जातियों हेतु संविधान में पृथक बस्तियों का प्रावधान किया जाय, एवं अछूतों को आजीविका हेतु कृषि भूमि दी जाय।

इन्हीं प्रस्तावों को दलितों के लिए अति आवश्यक माना गया और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों के लिए कार्यनीति की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं प्रस्तावों को दिशा–निर्देशक स्वीकार किया गया।

शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन केवल अनुसूचित जातियों का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल था। इसने दलितों में चेतना जगाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। इसने दलितों में आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया एवं दलितों की सभी जातियों एवं उप–जातियों को संगठित करने में सहायता प्रदान की। इसकी शाखायें बम्बई, केन्द्रीय प्रान्त व बरार, मद्रास, मैसूर, गूजरात, राजस्थान, पंजाब, उ0प्र0, विहार, उडीसा, बंगाल, असाम एवं सिन्ध में खोली गईं।

शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का कार्य दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन इसे साम्प्रदायिक दल नहीं कहा जा सकता। यद्यपि यह सत्य है कि डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों को हिन्दुओं से पृथक बताया। उन्होंने उनके लिए पृथक भूमि की मांग नहीं की। डॉ0 अम्बेडकर की दलितों के लिए विशेष राजनीतिक अधिकारों की मांग केवल उनके उत्थान के लिए थीं ताकि दलित भी दूसरों के समान स्तर पर आ जायें।

डॉ0 अम्बेडकर अब शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को स्थापित करने में लग गये। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया। इस फेडरेशन का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कानपुर में 29 जनवरी, 1944 को आयोजित किया गया जिसमें डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि, 'दलित नौजवानों को अपनी सारी शक्ति फेडरेशन को सहारा देने में लगानी चाहिए। इससे अंग्रेज हुकुमत को भी अस्पृश्यों के न्यायोचित अधिकारों को नजर अंदाज करना संभव नहीं हो पायेगा। दलितों को दूसरे दर्जे की नागरिकता अस्वीकार कर देनी चाहिए। उन्हें दास की तरह जीना और व्यवहार करना त्याग देना चाहिए और मालिक की तरह जीना चाहिए।'[7]

प्रान्तीय विधायिकाओं के सामान्य चुनाव मार्च 1946 ई0 में हुए। शिडयूल्ड कास्ट फेडरेशन ने भी इन चुनावों में सक्रिय भाग लिया, लेकिन पार्टी को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। डॉ0 अम्बेडकर ने स्वतन्त्र भारत के 1952 के प्रथम सामान्य चुनाव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। इन चुनावों में डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम को घोषणा–पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इस घोषणा–पत्र को उन्होंने चार भागों में बांटा, जिसमें पहला पार्टी के सिद्धान्त, दूसरा पार्टी का कार्यक्रम, तीसरा संसाधनों का प्रश्न तथा चौथा राजनीतिक दलों एवं गुटों के साथ सहयोग थे। इसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विचारों को विस्तार से अभिव्यक्त किया था। पार्टी के सिद्धान्तों में ये तत्व निहित थे– सभी भारतीय को कानून के समक्ष समान समझेगी, संविधान में निहित स्वतंत्रता, धार्मिक, आर्थिक राजनीतिक सिद्धान्तों को स्वीकारेगी, यह पार्टी ससंदात्मक शासन पद्धति में विश्वास रखेगी।

शिड्यूल कास्ट फेडरेशन ने 1946 एवं 1952 के सामान्य चुनावों में भाग लिया, लेकिन कोई विशेष सफलता इस पार्टी को नहीं मिली, सम्भवतः संयुक्त निर्वाचक मंडलों के कारण दलितों को आरक्षित स्थानों पर भी कांग्रेस के दलित उम्मीदवार ही विजयी होते रहे। लेकिन डॉ0 अम्बेडकर द्वारा गठित दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा बावा साहब ने पृथक निर्वाचन, वोट का अधिकार फिर आत्म निर्भर राजनीतिक दलों तक ही दलितों को सीमित रखकर दलितों में स्वाभिमान जगाया तथा उन्हें पृथक अस्मिता दी। इसी अस्मिता के कारण दलितों ने अपनी राजनीतिक शक्ति एवं एकता का परिचय दिया, जिससे दूसरी पार्टियों ने उनके अधिकारों एवं अस्तित्व को स्वीकारा। इस सम्बन्ध में डॉ0 विवेक कुमार लिखते हैं कि,'दलितों के लिए पृथक राजनैतिक अधिकारों को मूर्त रूप देने हेतु बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर ने पहले 15 अगस्त, 1936 में 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' बनायी तथा बाद में 18–20 जुलाई, 1942 में 'शिडयूल्ड कास्ट फेडरेशन' की नींव डाली। पहले पृथक निर्वाचन, फिर वोट का अधिकार, फिर पृथक एवं आत्मनिर्भर राजनैतिक दलों 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' एवं 'शिडयूल्ड कास्ट फेडरेशन' को दलितों तक सीमित रखकर बाबा साहेब ने दलितों को पृथक अस्मिता दी। इस अस्मिता के आधार पर ही दलित समुदाय ने आगे चलकर अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रदर्शन कर दूसरी राजनैतिक पार्टियों की निगाह में अपने अस्तित्व को स्थापित किया और उनसे अपने अधिकारों की मांग की। परन्तु बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित उपरोक्त दोनों ही राजनैतिक दलों का आधार बहुत संकीर्ण था और इसमें दलितों की ही बहुलता थी। यद्यपि इंडिपेडेंट लेबर पार्टी को बाबा साहेब ने जाति नहीं वर्ग के आधार पर स्थापित किया था।'[8] अपने अन्तिम दिनों में डॉ0 अम्बेडकर ने शिडयूल्ड कास्ट फेडरेशन को भी समाप्त कर फिर से एक नई पार्टी के गठन का प्रयास किया। क्योंकि डॉ0 अम्बेडकर समझ गये थे कि विशाल भारत में हजारों जातियों में से कुछ अनुसूचित जातियों के आधार पर बनाया गया राजनीतिक दल सफल नहीं हो सकेगा। डॉ0 राममनोहर लोहिया द्वारा गठित सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सम्मेलन 30–31 दिसम्बर 1955 और 1–2 जनवरी, 1956 को हैदराबाद में हुआ। जिसमें डॉ0 लोहिया ने डॉ0 अम्बेडकर को भी इस सम्मेलन में विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया, लेकिन डॉ0 अम्बेडकर उसमें नहीं जा सके। परन्तु उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों एवं घोषणाओं में दिलचस्पी दिखाई। इसी तरह डॉ0 लोहिया ने भी डॉ0 अम्बेडकर के दलितोत्थान में अपनी रूचि दिखाई। इस प्रकार दोनों नेताओं ने एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास किया तथा एक नया राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाने के प्रयास प्रारम्भ किए, लेकिन डॉ0 लोहिया और डॉ0 अम्बेडकर जब

तक अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करते तब तक 6 दिसम्बर, 1956 को डॉ0 अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया। और भारतीय राजनीति में दो विद्वानों का राजनीतिक मिलन संभव नहीं हो सका।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया: बाबा साहब डा० अम्बेडकर के अनुयायियों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के गठन के लिए नागपुर में 3 अक्तूबर, 1957 को एक विशेष सम्मेलन आमंत्रित किया, जिसमें बाबा साहब डा० अम्बेडकर के विचारों की रूपरेखा के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया का विधिवत गठन किया। इस पार्टी का अध्यक्ष एन० शिवराज तथा महासचिव राजाभाऊ खोब्रागडे को चुना गया।

डा० अम्बेडकर ने अपने परिनिर्वाण से पूर्व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के गठन की परिकल्पना में दलित एवं शोषित समाज को राजनीतिक अधिकार एवं प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान के अनुसार दिलाने का उद्देश्य रखा था। वे भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण चाहते थे। उन्होंने केवल दलित समाज की कुछ जातियों को ही नहीं, बल्कि समूचे शोषित वंचित समाज को राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की व्यापक भूमिका निर्धारित की थी।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के उद्देश्य राजकीय समाजवाद, संविधान की विधि द्वारा स्थापना एवं संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करना सुनिश्चित किए गये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्य अर्थात् 'स्वतन्त्रता, समता, बन्धुत्व व न्याय' रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के लक्ष्य सुनिश्चित किये गये। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बाबा साहब ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना पार्टी का उद्देश्य सुनिश्चित् किया था। उन्होंने व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता, व्यक्ति को अपने चंहुमुखी विकास की स्वतंत्रता तथा राज्य को साधन मानने के सिद्धान्तों को पार्टी की कार्यनीति में रखा। इसी प्रकार व्यक्ति की धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को संरक्षण, व्यक्ति भय, बंधकता व अभावों से मुक्त रहे यह भी पार्टी सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार डा० अम्बेडकर ने अपने परिनिर्वाण से पूर्व ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया की कार्यनीति की रूपरेखा हेतु प्रमुख सिद्धान्त निश्चित किये जो कि इस प्रकार है–

(क) 'यह सभी भारत वासियों को विधि के समक्ष न केवल समान मानेगी वरन् उन्हें समता का अधिकारी मानेगी और तद्नुसार समता को, जहां पर नहीं है, परिपालित करायेगी और जहां पर उसको नकारा जाता है वहां उसको प्राप्त कराएगी।

(ख) प्रत्येक भारतीय को अपना विकास, अपने तरीके से स्वयं करने के अधिकार के साथ, स्वयं साध्य मानेगी और राज्य को इस साध्य प्राप्ति का एक साधन मात्र मानेगी।

(ग) यह प्रत्येक भारत वासी के धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वातंत्रय के अधिकार की उन सीमा के अर्न्तगत जो राज्य या अन्य नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के लिए वांछित हो की रक्षा करेगी।

(घ) यह प्रत्येक भारतीय के अवसर की समता के अधिकार को इस प्राविधान के साथ रक्षा करेगी कि जो इस से वंचित रहे उनको, उनसे प्राथमिकता दी जाये।

(ड़) यह राज्य को उनके इस कर्तव्य के प्रति सजग करती रहेगी कि प्रत्येक भारतीय बंधकता, अभाव और भय से मुक्त रहे।

(च) यह स्वतंत्रता, समता, बंधुता के संरक्षण के लिये आग्रह करेगी और मनुष्य द्वारा मनुष्य के वर्ग द्वारा वर्ग के और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण और पद्दलन से विमुक्ति के लिए संघर्ष करेगी।

(छ) यह लोकहित और व्यक्तिहित दोनों की अभिरूचि में सर्वोत्म शासन प्रणाली 'संसदीय लोकतंत्र' का समर्थन करेगी।'

इस प्रकार बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने दलितों, शोषितों एवं वंचितों हेतु अपनी पार्टी के लिए सिद्वान्त निश्चित किए थे। अन्ततः उनका अन्तिम उद्देश्य पार्टी के माध्यम से दलितों की समस्याओं का हल खोजना ही था। इस हेतु उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के लिए लक्ष्य व्यक्ति समूहों बौद्ध, अनुसूचित जाति, अुनसूचित जनजाति, और पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को संगठित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए किसान भूमिहीन, खेतिहार मजदूर, कारखाना मजदूर आदि को भी संगठित करने की परिकल्पना की थी। यह पार्टी सभी भारतीयों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। इस प्रकार पार्टी के सिद्धान्तों के अतिरिक्त पार्टी को संगठित एवं विस्तार के लिए अन्य कार्य भी सुनिश्चित किए गये थे।

इस प्रकार लक्ष्य, उद्देश्यों, सिद्धान्तों एवं कार्यनीति की रूपरेखा से युक्त रिपब्लिकन पार्टी 1957 को अस्तित्व में आ गई। बाबा साहब ने ही पार्टी के सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य सुनिश्चित किये थे, उनके अनुयायियों ने तो पार्टी के गठन की मात्र औपचारिकता ही की थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डी0 आर0 जाटव "डा0 अम्बेडकर का राजनीति दर्शन'' (1996), समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ 117 पर बी0 आर0 अम्बेडकर 'पकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इण्डिया, (1946), पृष्ठ 337–338 से उद्धृत।
2. डी0डी0आर0 जाटव, 'डा0 अम्बेडकर का राजनीति–दर्शन' (1996), समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ 118 पर 'दस स्पोक अम्बेडकर' बॉल्यूम–I, पृष्ठ 78–79 से उद्धृत।
3. वही, पृष्ठ 118 पर 'दस स्पोक अम्बेडकर' बाल्यूम–I पृष्ठ 81 से उद्धृत।
4. बसंत मून 'डा0 बाबा साहब अम्बेडकर', प्रशान्त पाडे (अनुवाद), नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ– 153।

5. धनंजय कीर 'डा0 अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन', गजानन सुर्वे (अनुवादक) 'डा0 बाबा साहब आंबेडकर जीवन–चरित्र', (2006), पाप्युलर प्रकाशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ– 272।
6. बसंत मून 'डा0 बाबा साहब अम्बेडकर', प्रशान्त पाडे (अनुवाद), नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ– 150।
7. विवेक कुमार, 'बहुजन समाज पार्टी एवं संरचनात्मक परिवर्तन', (2007), सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 30।।
8. भगवान दास 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया वर्तमान राजनीति की आवश्यकता', पृष्ठ 4।